

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)
प्रकरण संख्या 77/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
मणीभवन होम फाईनेन्स इण्डिया लि. द्वितीय फ्लोर, एन-2, साउथ विस्तार, पार्ट-1, न्यू दिल्ली ।
प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्रीमती राजन्ती देवी पत्नी श्री रेवड मल मीणा
पता-ग्राम त्रिलोकपुरा, मनोहरपुरा, बस्सी जयपुर ।
2. हरिनारायण मीणा पुत्र श्री रेवड मल मीणा
पता-ग्राम त्रिलोकपुरा, मनोहरपुरा, बस्सी जयपुर एवं
लॉटस डेयरी, अजमेर, बस्सी रोड, जयपुर
3. श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री हरिनारायण मीणा
4. सीताराम मीणा पुत्र रेवड मल मीणा
5. रेवड मल मीणा पुत्र श्री कल्याण
पता-ग्राम त्रिलोकपुरा, मनोहरपुरा, बस्सी जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002

उपस्थित:-अरविन्द कुमार कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 22.04.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.01.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती राजन्ती देवी पत्नी श्री रेवड मल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम त्रिलोकपुरा, मनोहरपुरा बस्सी जयपुर स्थित प्लाट खसरा नम्बर 07, रकबा 9095 हैक्टेयर में से हिस्सा 5/552 क्षेत्रफल 1137.11 वर्गगज को बन्धक रख कुल 8,70,0000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 08.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(जयपुर) जयपुर (ग्रामीण)




3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को 8,70,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थी का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 10,30,741.81 रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी को दिनांक 08.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती राजन्ती देवी पत्नी श्री रेवड मल मीणा के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम त्रिलोकपुरा, मनोहरपुरा बरसी जयपुर स्थित प्लॉट खसरा नम्बर 07, रकबा 9095 हेक्टेयर में रो हिरसा 5/552 क्षेत्रफल 1137.11 वर्गगज भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश की प्रति हस्य कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



40
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(अलकट्टर) जयपुर (ग्रामीण)